




फर्द अहकाम

शम्भूसिंह

बनाम

कन्हैयालाल वर्ग 0

याचालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोबनेर
केस सं० 175/2025

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27.08.2025	<p>अधिवक्ता श्री मदनलाल कुमावत द्वारा वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्टे हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए रजि०एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 26.09.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर </p>	
	26.9.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित हैं। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि० 17/10/25 को पेश है</p> <p style="text-align: center;">  </p>	
	8.10.25	<p>अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र वाक्यतः पत्रावली तय करवाने एवं वाद किन्हीं किन्हीं पक्षों पर पत्रावली माच की केशी में भी गयी। वादी स्वयं उप० वादी द्वारा प्रार्थना पत्र कर सम्मय की पेश किया है कि अन्तर्गत वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य शपथनामा हो चुका है। इसलिए अपने वाद की शपथ नहीं पेशना चाहते। अतः पत्रावली किन्हीं खारिज करवाने की कृपा करें। पत्रावली एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का भवसंभालन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद किन्हीं प्रार्थना पत्र के माध्यम पर खारिज किया जाता है। पत्रावली जैसल अन्तर्गत होकर नंबर से क्रम होकर दर्जत दाखिल हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर </p>	

शम्भु सिंह जीवा

